

इनसाफ़ के अलमबरदार बनो

लेखक

डॉ. मुहम्मद अब्दुल-हक़ अनसारी

अनुवादक

गुलज़ार सहराई

‘बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम’

“अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है।”

इनसाफ़ के अलमबरदार बनो

यह पुस्तिका 28, 29 जनवरी 2006 ई. को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आयोजित जमाअत इस्लामी हिन्द हल्का महाराष्ट्र के इज्तिमा-ए-आम में दिए गए जमाअत इस्लामी हिन्द के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुहम्मद अब्दुल-हक़ अनसारी साहब के कलीदी खुतबे (मुख्य अभिभाषण) पर आधारित है।

इस्लाम : पूर्ण जीवन-व्यवस्था

इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन (धर्म) है। यह एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है तथा लोगों के लिए दयालुता का सन्देश और प्रसन्नता एवं सफलता की शुभ सूचना देनेवाला है। इस्लाम सृष्टि के रचयिता, मालिक और पालनहार की ओर से इनसानों के लिए बड़ा ही खुशगवार और मनमोहक उपहार है। अल्लाह ने इसी दीन पर ईमान लाने, इसको पूरी तरह अपनाने और इसपर लगातार अमल करने का आदेश दिया है और हर हाल में इसपर जमे रहने की ताकीद की है।

जमाअत इस्लामी हिन्द की जिदोजुहद

जमाअत इस्लामी हिन्द लोगों को इसी इस्लाम की ओर बुलानेवाली और इसकी अलमबरदार (ध्वजावाहक) है और इस्लाम की वह पूर्ण परिकल्पना अपने सामने रखती है जो ईमान, अक्रीदे, इबादत, तक्रवा, अल्लाह से ताल्लुक और उसके रसूल (सल्ल.) से मुहब्बत पर आधारित है। दीन के इसी तसव्वुर की माँग के तौर पर जमाअत सामाजिक जीवन का गठन करने के लिए कोशिश कर रही है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को इस सृष्टि के बनानेवाले, इसके मालिक, पालनहार और सर्वोच्च शासक की इच्छानुसार सँवारने और इनसाफ़ व एहसान की बुनियादों पर क्रायम करने के लिए जिदोजुहद कर रही है। जमाअत का विश्वास है कि जीवन के तमाम विभागों में दीन (धर्म) की पूरी पैरवी ही बन्दगी का तक्राज़ा है और रब के सामने पूर्ण समर्पण ही सांसारिक जीवन में कामयाबी और आखिरत (परलोक) में मिलनेवाली नजात (मोक्ष) और कामयाबी का ज़रीआ है। इसके विपरीत खुदा के अस्तित्व के इनकार और उससे सरकशी और बगावत का मार्ग अपनाकर न तो किसी भलाई की उम्मीद की जा सकती है और न ही दीन का आधा-अधूरा अनुपालन और त्रुटिपूर्ण अनुपालन करके किसी अच्छे

परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। ये बुनियादी सच्चाइयाँ पवित्र कुरआन में और अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल.) की मुबारक ज़िन्दगी में बहुत नुमायाँ तरीके से मौजूद हैं।

नबी (सल्ल.) ने अल्लाह की बन्दगी इस प्रकार की कि आप (सल्ल.) उसकी प्रसन्नता के लिए उसकी सबसे ज़्यादा इबादत करनेवाले, उसकी याद में सबसे ज़्यादा रातों को जागनेवाले, उसका सबसे ज़्यादा ज़िक्र करनेवाले और उसके रास्ते में सबसे ज़्यादा माल खर्च करनेवाले थे, मगर साथ ही आप (सल्ल.) ने ज़िन्दगी के अन्य विभागों को भी कुरआन की शिक्षाओं के अनुसार इस प्रकार सँवारा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के तमाम ग़लत नियम और असत्य सिद्धान्त बदल गए तथा ग़ैर-ईश्वरीय राज के स्थान पर जो वास्तव में ईश्वर से बग़ावत का राज है, ईश्वरीय आदेशों के राज से धरती के कितने ही हिस्से सुख-शान्ति का ऐसा घर बन गए जो लोगों के लिए एक आदर्श सिद्ध हुए।

कुरआन की पुकार

जमाअत के इसी अक़ीदे और अमल का इज़हार जमाअत इस्लामी हिन्द हल्का महाराष्ट्र के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के केन्द्रीय विषय “कूनू क़व्वामी-न

बिल-क्रिस्त” (इनसाफ़ के अलमबरदार बनो) की कुरआनी दावत से हो रहा है। इस पूरी सृष्टि के शासक की ओर से इनसानों को पुकारा जा रहा है कि अगर रब की खुशी चाहते हो तथा सुख-शान्ति और इत्मीनान व सुकून से भरे समाज की तमन्ना है तो इनसाफ़ के अलमबरदार बनो और इनसाफ़ क्रायम करने की कोशिश करो। कहा गया—

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इनसाफ़ के अलमबरदार और अल्लाह के लिए गवाही देनेवाले बनो भले ही तुम्हारे इनसाफ़ और तुम्हारी गवाही की चोट स्वयं तुमपर या तुम्हारे अपने माँ-बाप और निकट सम्बन्धियों पर ही क्यों न पड़ती हो।” (कुरआन, 4:135)

कुरआन की सिर्फ़ इस एक आयत से ही न्याय और इनसाफ़ के सिलसिले में उसकी दिशा और इरादों का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी न्याय और इनसाफ़ की स्थापना तो पूरी धरती पर और वायुमण्डल में भी जहाँ तक इनसान का वश चले, करनी है। परन्तु इस काम का आरम्भ स्वयं अपने आप से करना है। अगर हालात का तक्राज़ा हो तो माँ-बाप और निकट सम्बन्धियों की इच्छाओं के विपरीत भी इस काम को करना है और किसी की मुहब्बत और सम्बन्ध को इनसाफ़ के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना है।

इस्लामी इतिहास तो न्याय और इनसाफ़ की स्थापना की ऐसी उज्ज्वल और सुनहरी घटनाएँ अपने दामन में समेटे हुए है कि आज के युग में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

न्याय और इनसाफ़ की स्थापना के सम्बन्ध में कुरआन ने एक बुनियादी और महत्त्वपूर्ण आदेश दिया—

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करो, और उनकी भी जो तुममें से अधिकारी लोग हैं, फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में विवाद हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ फेर दो, अगर वास्तव में तुम अल्लाह और अन्तिम दिन (क्रियामत) पर ईमान रखते हो।”

(कुरआन, 4:59)

यानी झगड़े और विवाद की स्थिति में अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) के मार्गदर्शन के अनुसार इनसाफ़ किया जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस (Might is Right) के अन्यायपूर्ण सिद्धान्त पर अमल नहीं होगा।

कुरआन मजीद में ग़रीबों, मुहताजों, अपंगों, अनाथों, विधवा औरतों, बेसहारा बच्चों और बच्चियों की सहायता और दिलजोई के बारे में बार-बार ताकीद की गई है। जो लोग इनके साथ इनसाफ़ और एहसान

का सुलूक नहीं करते और सम्मानित जीवन जीने में उनकी सहायता नहीं करते वे सर्वोच्च अल्लाह को पसन्द नहीं हैं और सही अर्थों में मोमिन (ईमानवाले) नहीं हैं—

“तुमने देखा उस व्यक्ति को जो आखिरत (परलोक) के इनाम और सज़ा को झुठलाता है? वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज़ पढ़नेवालों के लिए जो अपनी नमाज़ के प्रति असावधानी बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें (लोगों को) देने से इनकार कर देते हैं।” (कुरआन, 107:1-7)

इसके मुक़ाबले में अच्छे इनसानों और नेक ईमानवालों के गुणों को बयान करते हुए स्पष्ट किया गया कि इस्लाम की दृष्टि में न्याय और इनसाफ़ कायम करनेवालों में कौन से विशेष गुण होते हैं—

“अल्लाह की मुहब्बत में अपना दिलपसन्द माल, रिश्तेदारों, अनाथों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों, मदद के लिए हाथ फैलानेवालों और गुलामों को छुड़ाने पर खर्च करे।” (कुरआन, 2:177)

साथ ही यह भी कहा गया कि अल्लाह के नेक बन्दों के गुण ये हैं—

“और अल्लाह की मुहब्बत में मिस्कीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं, (और उनसे कहते हैं कि) हम तुम्हें केवल अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, हम तुमसे न कोई बदला चाहते हैं, न शुक्रिया।”

(क़ुरआन, 76:8, 9)

क़ुरआन ने इनसान की दुखती रग पर हाथ रखा है। चूँकि न्याय और इनसाफ़ के मामले में समाज के कमज़ोर और महरूम (बंचित) वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अतः यतीमों और अनाथों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करते हुए सर्वोच्च अल्लाह ने आदेश दिया—

“अल्लाह तुम्हें निर्देश देता है कि यतीमों के सिलसिले में इनसाफ़ पर कायम रहो।”

(क़ुरआन, 4 : 127)

यतीमों तथा अनाथों के हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में अल्लाह ने उनके साथ ही उनकी विधवा माओं की समस्या भी हल करने का व्यावहारिक तरीक़ा पेश किया और उनके सरपरस्तों को उन (यतीमों) की माओं से शादी कर लेने की इजाज़त दे दी—

“और अगर तुम यतीमों के साथ वेइनसाफ़ी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसन्द

आएँ उनमें से दो-दो, तीन-तीन, चार-चार से निकाह कर लो, लेकिन अगर तुम्हें आशंका हो कि उनके साथ न्याय न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या उन औरतों को निकाह में लाओ जो तुम्हारे क़ब्ज़े में आई हैं। इससे तुम्हारे न्याय से न हटने की अधिक सम्भावना है।” (कुरआन, 4:3)

मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह.) ने इस आयत के शुरू के हिस्से की व्याख्या करते हुए लिखा है—

“यह आयत एक से अधिक बीवियाँ करने की इजाज़त देने के लिए नहीं आई थी क्योंकि इसके अवतरित होने से पहले ही यह काम जाइज़ था और स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल.) की एक से अधिक बीवियाँ उस समय मौजूद थीं। वास्तव में यह इसलिए अवतरित हुई थी कि लड़ाइयों में शहीद होनेवालों के जो बच्चे यतीम रह गए थे उनकी समस्या को हल करने के लिए कहा गया कि अगर उन यतीमों के अधिकार तुम वैसे अदा नहीं कर सकते तो उन औरतों से निकाह कर लो जिनके साथ यतीम बच्चे हैं।” (अनूदित कुरआन मजीद)

यानी यतीमों का हक़ हर हाल में अदा किया जाना चाहिए, यह समाज की ज़िम्मेदारी है।

यतीम के माल को खर्च करने के सिलसिले में सावधानी बरतने और भला तरीक़ा अपनाने की शिक्षा दी गई। चुनाँचे अल्लाह ने आदेश दिया—

“और यह कि यतीम के माल के क़रीब न जाओ मगर ऐसे तरीक़े से जो सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वह अपनी जवानी की उम्र को पहुँच जाए। और नाप-तौल में पूरा इनसाफ़ करो। हम हर व्यक्ति पर ज़िम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितने की उसमें सामर्थ्य हो। और जब बात कहो तो इनसाफ़ की कहो, चाहे मामला अपने रिश्तेदार ही का क्यों न हो।”
(क़ुरआन, 6:152)

अच्छा और भला समाज बनाने के मौलिक कारकों की निशानदेही की गई और उसे लागू करने का निर्देश दिया गया—

“अल्लाह न्याय और एहसान का और रिश्तेदारों को (उनके हक़) देने का आदेश देता है और अश्लीलता, बुराई और अत्याचार से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक़ लो।”
(क़ुरआन, 16:90)

हर हाल में इनसाफ़ और तक़वा (ईशारायणता) का ध्यान रखने की शिक्षा दी गई—

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए सत्य पर जमे रहनेवाले और इनसाफ़ की गवाही देनेवाले बनो। किसी गरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभार दे कि इनसाफ़ से फिर जाओ। न्याय करो, यही तक़वा (ईशपरायणता) से ज़्यादा करीब है। अल्लाह से डरकर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह उससे पूरी तरह बा-ख़बर है।”

(कुरआन, 5:8)

लोगों के बीच सुलह-सफ़ाई की शिक्षा देते हुए यह आदेश दिया गया—

“और अगर ईमानवालों में से दो गरोह आपस में लड़ जाएँ तो उनके बीच सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक गरोह दूसरे पर ज़्यादती करे तो ज़्यादती करनेवाले से लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश की तरफ़ पलट आए। फिर अगर वह पलट आए तो उनके बीच न्याय के साथ सुलह करा दो। और इनसाफ़ करो कि अल्लाह इनसाफ़ करनेवालों को पसन्द करता है।”

(कुरआन, 49:9)

सर्वोच्च अल्लाह ने पैगम्बरों को भेजने और अपनी किताब अवतरित करने का मक़सद ही यह बताया है—

“हमने अपने रसूलों (सन्देश्वाहियों) को स्पष्ट निशानियों और निर्देशों के साथ भेजा, और उनके साथ किताब और तुला उतारी ताकि लोग इनसाफ़ पर कायम हों।” (क़ुरआन, 57:25)

क़ुरआन की 31वीं सूरा (लुक़मान) में अल्लाह ने जब यह फ़रमाया कि “यह सत्य है कि हमने इनसान को अपने माँ-बाप का हक़ पहचानने की खुद ताकीद की” तो वार्ता का आरम्भ इस प्रकार किया—

“बेटा! खुदा के साथ किसी को साझी न बनाना। वास्तव में शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है।” (क़ुरआन, 31:13)

अतः मालूम हुआ कि अल्लाह का आज्ञापालन उसी समय सम्भव है जबकि इनसान सबसे पहले अपने पैदा करनेवाले और मालिक का हक़ अदा करे, और उसका सबसे बड़ा हक़ यह है कि उसकी महान सत्ता के साथ किसी को साझीदार न बनाया जाए। अगर कोई इनसान इस बड़े जुल्म को नहीं छोड़ता तो यह सम्भव ही नहीं कि वह किसी अन्य प्रकार का जुल्म न करे।

क़ुरआन मजीद की ये विभिन्न आयतें जो कुछ विस्तार से पेश की गईं, उनपर विचार करने से यह

स्पष्ट होता है कि 'क्रिस्त' (न्याय) और 'अदुल' (इनसाफ़) दोनों समानार्थी शब्द हैं, अलबत्ता 'क्रिस्त' अधिक व्यापक अर्थ रखता है और इसमें बराबरी की हदों से बढ़कर दूसरे के साथ भलाई और एहसान करने का अर्थ भी नुमायाँ होता है।

अल्लाह के इन आदेशों के सिलसिले में यह बात पक्के यक़ीन के साथ दिलो-दिमाग़ में रहनी चाहिए कि इसी कार्य-योजना को व्यवहार में लाकर और इन्हीं उपायों को अपनाकर एक आदर्श समाज का निर्माण किया जा सकता है। अगर इनसाफ़ क़ायम करने के लिए आगे नहीं बढ़ा गया तो यह धरती और स्वयं हमारा देश फ़साद और बिगाड़ से भर जाएगा।

इस्लामी इनसाफ़ की बुनियादें

(1) इस्लामी न्याय और इनसाफ़ की बुनियाद इनसानी बराबरी और भाइचारे पर क़ायम है जिसे क़ुरआन में इस तरह बयान किया गया है—

“ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमों और बिरादरियाँ बना दीं, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के निकट तुममें सबसे ज़्यादा इज़्ज़तवाला वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरनेवाला और नेक हो।”

(क़ुरआन, 49:13)

यानी, पवित्र कुरआन ने हमेशा के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि जब तमाम इनसान एक ही माँ-बाप की सन्तान और भाई-बहन हैं तो उनके बीच एकता, समानता, प्रेम और भाईचारे के गहरे रिश्तों को किसी तरह भी खत्म न किया जाए, बल्कि हर हाल में उनका खयाल रखा जाए। स्वयं नबी (सल्ल.) ने भेदभाव की तमाम जाहिली बुनियादों को अपने एक ही शुभ वचन से सदैव के लिए मिटाते हुए कहा—

“तुम सब आदम से हो और आदम मिट्टी से बनाए गए। किसी अरबी (अरबवासी) को अजमी (शैर-अरबी) पर या अजमी को अरबी पर श्रेष्ठता प्राप्त नहीं, न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर। श्रेष्ठता का आधार केवल एक है, और वह है तकवा (ईशपरायणता)।” (हदीस : जामेअ् सग़ीर)
दूसरे मौक़े पर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया—

“तमाम इनसान कंधी के दानों जैसे हैं।”

(सिफ़तुस्सलात, 1/106)

एक और मौक़े पर नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया—

“मैं गवाही देता हूँ कि सारे इनसान भाई-भाई हैं।” (हदीस : अबू-दाऊद, किताबुस्सलात)

हज़रत उमर (रज़ि.) के शासन काल में जब उनके एक गवर्नर के बेटे के असभ्य व्यवहार से इस उसूल (सिद्धान्त) पर चोट पड़ी तो उन्होंने गवर्नर और उसके बेटे के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करते हुए कहा—

“तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया, उन्हें तो उनकी माओं ने आज़ाद पैदा किया था।”

- (2) इस्लामी न्याय का दूसरा उसूल इनसानी ज़रूरतों की पूर्ति है। यानी यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह इनसानों के खाने-पीने, दवा-इलाज तथा आवास, बिजली और पानी का उचित प्रबन्ध करे। और ऐसा न हो कि लापरवाही या ज़िम्मेदारी का एहसास न होने तथा सुनियोजित ढंग से काम न करने के कारण ज़रूरतमन्दों की ज़रूरतें पूरी होने के बजाय उलटे उनकी मुशकिलें बढ़ती रहें।
- (3) इस्लामी न्याय का तीसरा उसूल यह है कि तमाम नागरिकों को अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को उभारने, आगे बढ़ाने और उनका इस्तेमाल करने का अवसर मिले। शिक्षा के सम्बन्ध में शहर और गाँव का भेद किए बिना हर जगह उसकी सुविधा उपलब्ध हो। प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त हो और उसे अनिवार्य भी ठहराया जाए, ताकि कोई बच्चा या बच्ची कम-से-कम प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित न

रहे। मिडिल क्लास की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध मौजूद हो और उच्च शिक्षा के लिए उन इलाकों में जहाँ गरीबी ज्यादा हो, प्रशासन की ओर से योग्य छात्रों को आवश्यक सहायता मिले।

- (4) इस्लामी न्याय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम सरकार और शासन-प्रणाली है। सरकार में उच्च नैतिक और लोकतान्त्रिक मूल्य पाए जाते हों। वह सबकी हो और सबके लिए हो। सबके अधिकारों का ध्यान रखा जाए, मानवाधिकारों का पूरी तरह पालन किया जाए और सबके साथ इनसाफ़ किया जाए। जनता की इच्छा और उनके वोटों से निर्वाचित नेता निरंकुश और तानाशाह लीडर न बन जाएँ जो खुद को किसी के सामने जवाबदेह न समझें। शासन-व्यवस्था ऐसी खुली हुई हो कि हज़रत उमर जैसे महान व्यक्तित्व और वक़्त के ख़लीफ़ा को उनके मिम्बर पर टोक देने में एक बुढ़िया को भी न कोई डर हो और न ख़ौफ़।

राजनीतिक न्याय

न्याय और इनसाफ़ के सम्बन्ध में कुरआन में राजनीतिज्ञों का मार्गदर्शन भी किया गया है—

“और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो अदूल (न्याय) के साथ करो।” (कुरआन, 4:58)

सत्ताधारियों को अपने सामने किस सिद्धान्त को रखना चाहिए इसके बारे में कहा गया—

“कहो, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं तुम्हारे बीच इनसाफ़ करूँ।” (कुरआन, 7:29)

न्याय और इनसाफ़ इस्लामी शरीअत की आत्मा है। चुनाँचे नबियों और रसूलों को भेजने और उनके साथ अल्लाह की किताब को अवतरित करने का उद्देश्य यह बयान किया गया—

“हमने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणों और निर्देशों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तुला उतारी ताकि लोग इनसाफ़ पर क़ायम हों और लोहा उतारा जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए अनेक लाभ हैं।”

(कुरआन, 57:25)

इन निर्देशों की रौशनी में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव रखनेवाली घटना में, जिसमें कुरैश ने एक प्रतिष्ठित क़बीले की औरत के द्वारा चोरी किए जाने पर उसकी सज़ा के सम्बन्ध में जब आप (सल्ल.) की सेवा में हज़रत उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि.) से सिफ़ारिश करवाई, तो अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने फ़रमाया था कि अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने भी चोरी की होती तो उसे भी चोरी की सज़ा अवश्य दी जाती।

इस प्रकार मानो क्रियामत तक के लिए यह निर्देश दे दिया कि न्याय की स्थापना के सम्बन्ध में किसी प्रकार के रिश्ते और सम्बन्ध का लिहाज़ न किया जाए, इनसाफ़ हर हालत में क्रायम किया जाए।

आर्थिक न्याय

कुरआन ने अर्थशास्त्र की दुनिया में न्याय और इनसाफ़ को आधार बनाने की ओर भी इनसानों का ध्यान दिलाया और कहा—

“तुला में खलल न डालो। न्याय के साथ ठीक-ठीक तौलो और तराजू में डण्डी न मारो।” (कुरआन, 55:8-9)

एक दूसरी जगह कहा गया—

“(लेन-देन का) मामला चाहे छोटा हो या बड़ा, अवधि के निर्धारण के साथ उसकी दस्तावेज़ लिखवा लेने में ढील न बरतो। अल्लाह के निकट यह तरीका तुम्हारे लिए अधिक न्यायसंगत है।” (कुरआन 2:282)

सामाजिक जीवन के बारे में यह उसूल दिया गया—

“और अगर ईमानवालों में से दो गरोह आपस में लड़ जाएँ तो उनके बीच सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक गरोह दूसरे पर

ज़्यादती करे तो ज़्यादती करनेवाले से लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश की तरफ़ पलट आए। फिर अगर वह पलट आए तो उनके बीच न्याय के साथ सुलह करा दो। और इनसाफ़ करो कि अल्लाह इनसाफ़ करनेवालों को पसन्द करता है।”

(क़ुरआन, 49:9)

भारत में न्याय-व्यवस्था की स्थिति

आइए देखें कि हमारे अपने देश में न्याय-व्यवस्था का क्या हाल है और हम समानता और मानवाधिकारों की अदायगी की दृष्टि से किस स्थान पर खड़े हैं। हमारे देश के इतिहास के लिए 10, दिसम्बर 1948 ई. को, दूसरे देशों के साथ, मानवाधिकार के विश्व घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। स्वयं स्वतन्त्र भार के संविधान में स्वतन्त्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की आज़ादी, शोषण के खिलाफ़ आवाज़ उठाना, सबको बराबर न्याय मिलना, सरकारी सहायता आदि जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों को उसकी धाराओं 12-34, 36-51, 226, 300 (अ) और 326 आदि में सुरक्षित कर दिया गया। लेकिन 1958 ई. से 2001 ई. तक मीसा, टाडा और पोटा जैसे कम से कम 10 क़ानून ऐसे बनाए गए जो मानवाधिकारों के

विरुद्ध थे या जिनका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों का हनन करता रहा है।

देश को आज़ाद हुए 60 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं मगर अभी भी वर्तमान स्थिति यह है कि भारत की 40 करोड़ आबादी मौलिक शिक्षा से वंचित है। 10 से 15 हजार औरतें हर वर्ष दहेज की भेंट चढ़ जाती हैं। महंगे इनसाफ़ के कारण 2 लाख व्यक्ति जेलों में बन्द इनसाफ़ को तरस रहे हैं और 1 लाख 70 हजार जेल की सख्तियाँ झेल रहे हैं।

भारतीय समाज ऊँच-नीच, छुआ-छूत, जाति-पाति, असमानता और जुल्म व अत्याचार की ज़ंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए तमाम आरक्षणों के बावजूद भी 16 करोड़ की आबादी मानवीय प्रतिष्ठा से वंचित है और अर्द्ध-दासता, भूख और ग़रीबी तथा अपमान जैसी अमानवीय स्थिति से जूझ रही है। 1981 ई. से 1991 के दरमियान उनके साथ जुल्म और अत्याचार में कमी तो क्या होती, 23.4% बढ़ोत्तरी ही हुई है। केवल एक राज्य गुजरात में 4 लाख दलित लोग इनसान का मल ढोने का काम करते हैं। मन्दिरों में देवदासियों के रूप में अपमानजनक और पीड़ित जीवन जीनेवाली लड़कियाँ और औरतें 95% दलित होती हैं। उनके सवैधानिक और क़ानूनी अधिकारों के हनन का हाल यह है कि तमिलनाडु के

कुछ ज़िलों में ऊँची जातिवाले (Thevar) लोग दलितों को ग्राम-पंचायतों में, जो उनके लिए विशिष्ट होती हैं, अध्यक्ष नहीं होने देते और अगर वे निर्वाचित हो जाते हैं तो उन्हें क़त्ल कर देते हैं। (Frontline, 29 Sept. 2000)

जहाँ तक आर्थिक न्याय का सम्बन्ध है उसकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

संसार के सबसे अधिक धनवान और सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों के दरमियान 1960 ई. में अगर 12 गुना अन्तर था तो 1990 ई. में 19 गुना हो गया है। (Times of India, 16 January 2001) हमारे देश का हाल यह है कि सारी दुनिया के ग़रीबों की एक तिहाई तादाद यहाँ रहती है। 6 और 14 साल के दरमियानी उम्र के लड़कों की 6% तादाद मज़दूरी करती है जिनकी तादाद 1.39 करोड़ से अधिक है। पिछले दस वर्षों में उनकी तादाद में 27.9 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। (UNESCO Report, Times of India, 2 January 2001) आम औरतों और विशेष रूप से विधवाओं के शोषण की जो हालत है, उसके लिए अलग से एक विस्तृत लेख या बयान की ज़रूरत है। कितनी ही बच्चियाँ और औरतें हैं जो बेहतर व्यवहार और न्याय और इनसाफ़ को निरन्तर तरसती रहती हैं, कितनी ही माएँ हैं जो ग़रीबी और पिछड़ेपन के कारण अपनी सन्तानों को या तो स्वयं ही क़त्ल कर देती हैं या 300-400 रुपये में बेच देने पर मजबूर होती

हैं। मथुरा के वृन्दावन आश्रमों में 15 से 100 वर्ष की 7000 से 10,000 तक विधवाएँ बेसहारा और कष्टदायक जीवन जीने के लिए मजबूर रहती हैं। उनके लिए कोई स्थाई आवास नहीं होता। भजन-कीर्तन करते हुए उन्हें प्रतिदिन कुछ रुपये और थोड़ा-सा चावल मिलता है। आवास गृह का किराया अदा न करने पर उन्हें और अधिक परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। बहुत-से आश्रमों से सम्बन्धित अनैतिक व्यवहार एवं यौन शोषण तक ही खबरें आती रहती हैं।

मुसलमानों की आजमाइश

मुस्लिम समाज को विभिन्न पहलुओं से जिन परिस्थितियों में ग्रस्त कर दिया गया है उसका अनुमान निम्नलिखित आँकड़ों से किया जा सकता है—

मुसलमानों की 52% संख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। पुरुषों में शिक्षा की स्थिति 15% और स्त्रियों में कुछ प्रान्तों में 2% से भी कम है। फ़ौज और पुलिस में मुसलमान 2% हैं। उच्च श्रेणी की सेवाओं में 3% और निम्न श्रेणी की सेवाओं में 6% हैं।

इसपर और अधिक जुल्म यह है कि आज़ादी के बाद से ही मुसलमान दंगों और नरसंहार के अभियान का निरन्तर शिकार हैं। भिवण्डी और अहमदाबाद से

लेकर मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर और नीली (असम) जैसे हज़ारों दंगे हुए हैं, जहाँ मुसलमानों को जान-माल और इज़्जत-आबरू की दर्दनाक तबाही झेलनी पड़ी है, और शायद ही कोई दंगा ऐसा हुआ हो जिसके बाद मुसलमानों की फ़रियाद सुनी गई हो, उनके साथ इनसाफ़ हुआ हो और मुजरिमों को सज़ा मिल सकी हो। गुजरात के 2002 ई. के मुसलमानों का सफ़ाया करनेवाले दंगे को 'भारत के माथे पर कलंक' तो कहा गया लेकिन उसके धोने का कोई उपाय नहीं किया गया। हत्यारे और दंगाई आज भी मानो हथियार हाथ में लिए आज़ाद घूम रहे हैं। राहत कार्य करनेवाले कई मुसलमान वालंटियर्स (स्वयं सेवक) जेल में हैं और लुटे-पिटे लोगों को अपनी बस्तियों में जाने और घरों में आबाद होने से रोका जा रहा है। दंगों की जाँच के लिए आयोग तो गठित होते ही रहते हैं लेकिन उनकी रिपोर्टों पर अमल की जगह उन्हें ठण्डे बस्ते में डालकर अत्याचारियों के मनोबल को और बढ़ाया जाता है। मुम्बई दंगों की श्री कृष्णा रिपोर्ट इसकी ज़िन्दा मिसाल है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्वरूप पर न्यायपालिका के जो आश्चर्यजनक फ़ैसले आए हैं वे पूरे मुस्लिम समाज के लिए बेचैनी और परेशानी का कारण बने हैं। परिणामस्वरूप उनकी शक्ति

और क्षमता देश और समाज के निर्माण में लगने के बजाय इन गुत्थियों को सुलझाने ही में खर्च हो रही हैं।

भारत के मुसलमानों के लिए जहाँ एक ओर हिन्दू फ़ासीवादी शक्तियों, हिन्दुत्व के ध्वजावाहकों का रवैया बेचैनी तथा चिन्ता का कारण है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में साम्यवाद के नामलेवाओं के द्वारा भी तरह-तरह की मुश्किलें पैदा की जाती रहती हैं जो मुसलमानों की अपनी अलग पहचान को बनाए रखने और उनके विकास के रास्ते में रुकावट बनती हैं।

अन्य अल्पसंख्यकों की मुश्किलें

मुसलमानों के साथ-साथ देश के अन्य अल्पसंख्यकों की हालत भी सन्तोषजनक नहीं है। 1984 ई. में सिखों के साथ हत्या, लूटपाट और आगज़नी की जो बर्बरतापूर्ण नीति अपनाई गई उसकी टीस कितने ही सिख परिवार आज तक महसूस करते हैं।

ईसाई समुदाय के अधिकारों पर भी डाके डाले जाते हैं। कभी उनके गिरजाघरों में आगज़नी और तोड़फोड़ की जाती है तो कभी उनके धर्म गुरुओं (पादरियों) को हिंसा का शिकार बनाया जाता है। प्रसिद्ध धर्म प्रचारक ग्राहम स्टेंस और उनके मासूम बच्चों को उड़ीसा में ज़िन्दा जला दिए जाने की घटना बहुत पुरानी नहीं है।

अल्पसंख्यक बौद्धों की यह फ़रियाद सुननेवाला कोई नहीं है कि “बौद्ध गया” जैसा उनका विश्व प्रसिद्ध उपासना गृह भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है, हिन्दू पुजारी वहाँ अनाधिकृत रूप से क़ब्ज़ा करके महन्त बने बैठे हैं।

जैन समुदाय की भी कुछ शिकायतें हैं जो उनके द्वारा समय-समय पर की जाती रहती हैं।

हमारे देश की यह अजीब-ग़रीब स्थिति इस हाल में है जबकि आर्थिक रूप से तीस करोड़ इन्सान ग़रीबी रेखा के नीचे हैं, जो आम तौर पर तन ढकने के लिए कपड़े और खाने को मुहताज होते हैं।

जमाअत के काम

ज़िन्दगी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की इन परिस्थितियों के बीच जमाअत इस्लामी हिन्दू “इनसाफ़ के अलमबरदार बनो” के कुरआनी आदेश की रौशनी में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। जमाअत ने पहले दिन से ही वैचारिक स्तर पर मानव-एकता, समानता, भाईचारा और समाज सेवा के जज़्बे को बढ़ावा दिया है और इस सोच को देश में आम करने की कोशिश की है। जमाअत ने केवल यही नहीं कि लोकतन्त्र की बात की है, बल्कि खुद अपनी तन्ज़ीम (संगठन) में हर स्तर पर लोकतान्त्रिक और शूराई निज़ाम

को जगह दी है और इसी लोकतान्त्रिक वातावरण को देश में भी स्थापित करने, बाकी रखने और उसे बढ़ावा देने की अपनी सामर्थ्य भर कोशिश की है। इसी सिलसिले में जमाअत ने देश में मौजूद फ़ासीवादी, साम्प्रदायिक और आतंकवादी प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों का हर स्तर पर विरोध किया है। नफ़रत और दुश्मनी की भावनाओं से ओत-प्रोत शक्तियों के चंगुल से देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक वातावरण को सुरक्षित रखने और उन्हें सत्ता में आने से रोकने के लिए संवैधानिक और लोकतान्त्रिक तरीके पर भरपूर संघर्ष कर रही है और यह सिलसिला अभी जारी है।

जमाअत ने न्याय और इनसाफ़ की भावना से भरे देश के विभिन्न भागों में मौजूद अपने सदस्यों की हर समय सजग रहनेवाली टीम के द्वारा ज़रूरतमन्दों, कमज़ोरों और पीड़ितों की सेवा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का अहम फ़र्ज़ पूरा किया है और बहुत-से क्षेत्रों में अल्लाह की मेहरबानी से ये काम जारी हैं। आज़ादी के समय से ही जमाअत ने देश में एक के बाद एक होनेवाले दंगों में पीड़ितों को ढाढ़स बँधाने, उनको राहत पहुँचाने और उनके पुनर्वास का काम धर्म-सम्प्रदाय का भेद किए बिना करने के स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। गुजरात के 2002 ई. के

मुस्लिम विरोधी दंगों और मुसलमानों का सफ़ाया करने के अभियान के पीड़ितों को राहत पहुँचाने पर जमाअत और उसकी समर्थक संस्थाओं ने सतरह करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, जिसमें बहुत-से ग़ैर-मुस्लिम पीड़ितों को भी मकान बनवाकर दिए गए। इसी प्रकार समुद्री तूफ़ानों, ज़लज़लों, आग लगने और अन्य भौतिक आपदाओं के अवसरों पर भी पीड़ितों की सहायता के लिए पिछले कुछ दशकों में 50 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च किए गए।

समाज के निर्धन और संसाधनों से वंचित वर्गों की छोटी-मोटी, परन्तु अपरिहार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जमाअत ने सारे देश में ब्याज रहित सोसाइटियों का एक सिलसिला कायम कर रखा है जिनके द्वारा कितने ही ग़रीब लोग महाजनों और ब्याजख़ोरों के मकड़ जाल में फँसने से बचे रहते हैं। इसी के साथ जमाअत इस्लामी ब्याज रहित आर्थिक व्यवस्था के विकास और सरकारी स्तर पर ब्याज रहित बैंकिंग के पक्ष में जनमत बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रही है।

समाज सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी जमाअत अनाथों, विधवाओं, निर्धनों, निस्सहाय व्यक्तियों, अपंगों, रोगियों और दूसरे ज़रूरतमन्दों की सेवा करने और उनके काम आने का हर सम्भव प्रयास करती है।

देश के पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्गों की मुश्किलों और समस्याओं की ओर भी जमाअत ध्यान देती रही है और उनसे निस्स्वार्थ भाव से मैत्रीय सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें समाज में सम्माननीय स्थान दिलाने के लिए कोशिश करती रही है।

समाज-सुधार के सन्दर्भ में जमाअत ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम मजलिसे-मुशावरत के प्रयासों में पूरा सहयोग करने के साथ ही अपने तौर पर भी विशेष अभियानों आदि के द्वारा लोगों को जागरूक बनाती रही है। मिल्लत की सफ़ों (पंक्तियों) में एकता का वातावरण पैदा करने के सिलसिले में जमाअत निरन्तर प्रयास करती रही है जिसके परिणाम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में तथा दीनी इज्तिमाआत और कानफ़ेंसों में देखने में आते हैं।

जमाअत देश और समाज से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में पूरी निष्ठा और दिलचस्पी के साथ विचार करती, उनकी ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करती और Movement for Peace & Justice (MPJ) तथा Solidarity जैसे संगठनों तथा अपने हल्क़ए-ख़वातीन (महिला विंग), छात्राओं के संगठन GIO और छात्रों एवं युवाओं के संगठन SIO के द्वारा उन समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने का अभियान चलाकर उन्हें हल करने और करवाने की कोशिश करती है। मानवाधिकारों की रक्षा

के सम्बन्ध में 2004 ई. में जमाअत की ओर से चलाया गया अभियान एक असाधारण क़दम साबित हुआ जिसमें जमाअत को मुस्लिम समाज के साथ ही ग़ैर-मुस्लिमों की अहम राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विभूतियों और मीडिया का भी सहयोग प्राप्त रहा।

देश में रिश्त और भ्रष्टाचार के रोग ने कितना गंभीर रूप ले लिया है, इसको समझदार और विवेकशील लोग पहले भी पूरी तरह जानते थे। लेकिन पिछले दिनों क़ानून बनानेवाले देश के प्रतिष्ठित संस्थान लोकसभा के सदस्यों को इस घृणित धन्धे में रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया। इससे दुनिया के सामने पूरे देश की बेहद बदनामी हुई। नग्नता, अश्लीलता और आँखें बन्द करके पश्चिम का अनुसरण समाज को तेज़ी से पतन की ओर ले जा रहा है। जुआ, शराब, स्मैक और अन्य नशीली वस्तुएँ समाज को घुन की तरह अन्दर से खोखला कर रही हैं। इन शर्मनाक और इनसानियत के लिए घातक बुराइयों से समाज को बचाने के लिए भी जमाअत इस्लाह और सुधार की कोशिशें करती रहती है।

जमाअत इस्लामी हिन्द के सामने इक़ामते-दीन (दीन की स्थापना) का जो महान लक्ष्य है उसके लिए जिद्दो-जुहद करने, हालात और वक़्त के तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए दावत को आम करनेवाले और इस काम की रहनुमाई करनेवाले जिन सलाहियतों के

व्यक्तियों की ज़रूरत है, उनकी तैयारी की मुसलसल फ़िक्र और कोशिश भी की जा रही है।

मक़सद अल्लाह की खुशी हासिल करना है

इन तमाम कामों और प्रयासों के साथ ही जमाअत इस्लामी हिन्द का मानना है कि देश के इन ख़राब हालात में न्याय और इनसाफ़ क़ायम करने का कोई प्रयास सफल नहीं हो सकता अगर इनसान स्वयं को इस सृष्टि के शासक (अल्लाह) की इच्छा व मर्ज़ी के मुताबिक़ न ढाल ले, उसका डर और उसके सामने जवाबदेही का एहसास तथा आंख़िरत (परलोक) में सफलता एवं असफलता का ख़याल अपने मन व मस्तिष्क पर सवार न कर ले और अपनी ज़िन्दगी को न्याय और इनसाफ़ के प्राणदायक सन्देश की बुनियाद पर क़ायम न कर ले। इसी अवधारणा को सामने रखते हुए जमाअत पहले दिन से ही देशवासियों को अल्लाह की प्रसन्नता के मार्ग की ओर बुलाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य के लिए देश की लगभग सभी भाषाओं में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया गया है, पत्र-पत्रिकाएँ जारी की गई हैं। प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का, जहाँ तक सम्भव है, उपयोग किया जा रहा है। सिम्पोज़ियम, सेमिनार और ख़िताबाते-आम (आम जनता से सम्बोधन) आयोजित किए जा रहे हैं और देश के कोने-कोने में हमारे लाखों लोग — मर्द, औरतें और नौजवान बच्चे-बच्चियाँ बेहद

फ़िक्रमन्दी और लगन के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने में लगे रहते हैं। इन सबके बावजूद हमारा एहसास है कि देश की इतनी बड़ी आबादीवाले देश में हमारा यह सारा संघर्ष एक आरम्भ ही कहा जा सकता है। फिर भी यह जो कुछ भी हम से हो सका है, केवल अल्लाह तआला की मेहरबानी और उसकी मदद से ही सम्भव हुआ है।

लेकिन हमारा देश जितना महान है, यह जितना फैला हुआ है और जिस प्रकार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश है, उस दृष्टि से आप सोचें और अपना जायज़ा लें तो आपको अन्दाज़ा होगा कि समस्याओं से घिरे हुए इस देश को अगर न्याय और इनसाफ़ की अवधारणा से वाक़िफ़ कराना है तो स्वयं हमको एक तरफ़ अपनी ज़िन्दगी को ईमान और अख़्लाक़ में मज़बूती, व्यवहार में पारदर्शिता, ज़िक्र व इबादत में लगन और तन्मयता और तक्रवा व ईशभय जैसे सदगुणों से विभूषित करना होगा और दूसरी तरफ़ दीन (धर्म) की सामाजिक अवधारणा को आम करना होगा तथा न्याय और इनसाफ़ की स्थापना के लिए जी-जान से जिद्दो-जुहद करनी होगी। सही अर्थों में यही वह खुदा तरसी (ईशपरायणता) और इनसाफ़ व एहसान है जिसपर इस्लामी जमाअत को अल्लाह का समर्थन एवं सहायता प्राप्त होती है।

